भाग 1

क

**न्यायालय – अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1, किशनगढ़, जिला अजमेर**

| | | |
|---|---|---|
| **पीठासीन अधिकारी** | : | जितेन्द्र रैया, आर.जे.एस. |
| **निर्णय दिनांक** | : | 25.03.2026 |
| **सीआईएस संख्या** | : | 2453/2016 |
| **फौजदारी नियमित प्रकरण संख्या** | : | 898/2016 |
| **अभियोग संख्या** | : | 138/2016 |
| **पुलिस थाना** | : | मदनगंज, जिला अजमेर |

| | |
|---|---|
| **परिवादी** | राजस्थान राज्य |
| **प्रस्तुत द्वारा** | अभियोजन अधिकारी |
| **अभियुक्त** | 1. दिलीप कुमार पुत्र श्री सत्यनारायण गोयल, निवासी– एस 1, बी ब्लॉक, एलिगेंट अपार्टमेंट, संतोष नगर, जयपुर |
| **अधिवक्ता अभियुक्त** | श्री इन्द्रेश के. रामचन्दानी |

ख

| | |
|---|---|
| **घटना की दिनांक** | 19.05.2016 |
| **प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक** | 19.05.2016 |
| **आरोप पत्र पेश किए जाने की दिनांक** | 28.06.2016 |
| **आरोप विरचित किए जाने की दिनांक** | 28.06.2016 |
| **साक्ष्य प्रारंभ किए जाने की दिनांक** | 24.08.2016 |
| **निर्णय सुरक्षित रखे जाने की दिनांक** | 25.03.2026 |
| **निर्णय सुनाए जाने की दिनांक** | 25.03.2026 |
| **सजा आदेश यदि हो तो** | – – निल– – |

Authenticated document

ग

**अभियुक्त की सूचना**

| क्रम | नाम | गिरफ्तारी की दिनांक | जमानत की दिनांक | अपराध धारा | दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध | अधिरोपित सजा | धारा 428 दंप्रसं में समायोजन समयावधि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | दिलीप कुमार | – निल – | – निल – | 279, 304–ए भा.द.सं. | दोषमुक्त | – निल – | – निल – |

**भाग 2**

**अभियोजन/अभियुक्त/न्यायालय गवाह सूची**

**कः अभियोजन गवाह**

| क्रम | नाम | साक्ष्य प्रकृति |
|---|---|---|
| पी.डब्ल्यू– 1 | सोहन लाल | परिवादी |
| पी.डब्ल्यू– 2 | डॉ. पुष्पेन्द्र प्रभाकर | चिकित्सीय साक्षी |
| पी.डब्ल्यू– 3 | महिपाल सिंह | साक्षी– मैकेनिकल मुआयना के संबंध में |
| पी.डब्ल्यू– 4 | फारूक | साक्षी– नक्शा मौका घटनास्थल |
| पी.डब्ल्यू– 5 | गोपाल | मुख्य गवाह |
| पी.डब्ल्यू– 6 | हनुमान सहाय | अनुसंधान अधिकारी |

**अभियोजन/अभियुक्त/न्यायालय द्वारा प्रदर्शित दस्तावेज सूची**
**खः अभियोजन दस्तावेज सूची**

| क्रम | प्रदर्श | विवरण | संबंधित गवाह |
|---|---|---|---|
| 1 | पी – 1 | तहरीरी रिपोर्ट | पी.डब्ल्यू– 1, 6 |
| 2 | पी – 2 | फर्द पंचायतनामा मृतक बालकिशन | पी.डब्ल्यू– 6, |
| 3 | पी – 3 | फर्द सुपुर्दगी लाश मृतक बालकिशन | पी.डब्ल्यू– 1, 6 |
| 4 | पी – 4 | फर्द नक्शा मौका घटनास्थल | पी.डब्ल्यू– 1, 4, 6 |
| 5 | पी – 5 | फर्द जब्ती वाहन कार | पी.डब्ल्यू– 1, 6 |
| 6 | पी – 6 | पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृतक शिवराज | पी.डब्ल्यू– 2, 6 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **7** | पी – 7 | मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट वाहन कार | पी.डब्ल्यू– 3, 6 |
| **8** | पी – 8 | पुलिस बयान फारूख | पी.डब्ल्यू– 4 |
| **9** | पी– 8 | पुलिस बयान गोपाल लाल | पी.डब्ल्यू– 5 |
| **10** | पी – 9 | फर्द सूरतेहाल मोटरसाईकिल | पी.डब्ल्यू– 1, 6 |
| **11** | पी – 10 | चाक एफ.आई.आर. | पी.डब्ल्यू– 6 |
| **12** | पी – 11 | पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृतक बालकिशन | पी.डब्ल्यू– 6 |
| **13** | पी – 12 | फर्द पंचायतनामा मृतक शिवराज | पी.डब्ल्यू– 6 |
| **14** | पी – 13 | फर्द सुपुर्दगी लाश मृतक शिवराज | पी.डब्ल्यू– 6 |
| **15** | पी – 14 | पुलिस थाना मदनगंज की ओर से मृतक शिवराज की लाश का पोस्टमार्टम किया जाकर पी.एम.आर. रिपोर्ट चाहने बाबत् | पी.डब्ल्यू– 6 |
| **16** | पी – 15 | नोटस अंतर्गत धारा 133 एम.वी. एक्ट | पी.डब्ल्यू– 6 |
| **17** | पी – 16 | नकल रपट रोजनामचा | पी.डब्ल्यू– 6 |

**मुद्दमल की सूची**

| **क्रम संख्या** | **प्रदर्श** | **विवरण** | **संबंधित गवाह** |
|---|---|---|---|
| 1 | – निल– | – निल– | – निल– |

**—:: निर्णय ::–**

**दिनांकः– 25.03.2026**

**1.** हस्तगत प्रकरण पुलिस थाना मदनगंज, जिला– अजमेर की ओर से जरिये अभियोजन अधिकारी दिनांक 28.06.2016 को अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किये जाने से प्रकरण नियमित फौजदारी में दर्ज रजिस्टर किया गया।

**2.** प्रकरण के संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार से है कि परिवादी सोहन लाल द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय से दर्ज करायी गयी कि दिनांक 19.05.2016 को उसका पुत्र बालकिशन अपनी मोटरसाईकिल नंबर आर.जे. 42 एस.ए. 7225 से गेगल से रवाना होकर समय लगभग 01.30 पी.एम. पर परासिया, रेलवे फाटक क्रोस कर थोडा आगे किशनगढ की तरफ निकला कि सामने से एक कार आर.जे. 01 सी.ए. 7165 का चालक तेज गति, लापरवाही पूर्वक चलाता हुआ आया और

उसके लडके की मोटरसाईकिल पर रोड साइड से आकर टक्कर मारी। लडके के पीछे मोटरसाईकिल पर शिवराज पुत्र कानाराम भी बैठा था। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गये तथा मोटरसाईकिल टूट गयी, कार चालक कार छोडकर भाग गये। राहगीरों ने लडके बालकिशन व शिवराज को इलाज हेतु वाई.एन. अस्पताल किशनगढ पहुंचाया, जहां पहुंचते ही उसकी मृत्यु हो गयी तथा बालकिशन को जे.एल.एन. अस्पताल अजमेर में रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी भी मृत्यु हो गयी। यह दुर्घटना कार चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही पूर्वक चलाने के कारण हुयी। आदि पर मुकदमा नंबर 138/2016 धारा 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया।

3. बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त धाराओ का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष नियमानुसार प्रस्तुत हुआ तथा न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धाराओ में प्रंसज्ञान लिया गया।

4. अभियुक्त के विरूद्ध धारा 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपराध बनना पाये जाने पर उपरोक्त धाराओ में अभियुक्त को आरोप सारांश मौखिक रूप से समस्त विशिष्टियों सहित सुनाया व समझाया गया, अभियुक्त ने उपरोक्त आरोपों को सुन–समझकर आरोपों से इंकार कर अन्वीक्षा चाही, जिस पर साक्ष्य अभियोजन में साक्ष्य प्रांरभ की गयी।

5. दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष की ओर से उक्त भाग 2 के अनुसार मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिनका ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

6. तत्पश्चात् अभियुक्त को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत परीक्षित किया गया तो अभियुक्त ने अपने विरुद्ध आयी साक्ष्य को गलत होना बताया और कथन किया कि वे निर्दोष है, उन्हें झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त ने साक्ष्य सफाई पेश करना चाहा।

7. उभय पक्षों को बहस अन्तिम के स्तर पर सुना गया। अभियोजन का तर्क रहा कि पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य सामग्री से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध को संदेह से परे साबित करने में अभियोजन सफल रहा है। अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित होते है। ऐसे में अभियुक्त को आरोपित

अपराध के तहत दोषसिद्ध घोषित किया जाकर दण्डित किया जावे। अभियोजन द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत भी प्रस्तुत किये गये, जिनका ससम्मान अध्ययन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया।

1. सैयद अहमद बनाम स्टेट आफ कर्नाटक, 2012(3) क्राईम 202 एस.सी.
2. भारभाडा भोगिन भाई हिरजी भाई बनाम स्टेट आफ गुजरात, ए.आई.आर 1983 एस.सी. 753

8. वहीं दूसरी ओर अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा बहस के दौरान यह जाहिर किया गया है कि अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। प्रकरण में परीक्षित समस्त गवाह अभियोजन कहानी की पूर्णतया ताईद नहीं करते हैं अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री से प्रमाणित नहीं होते है। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाए।

9. पत्रावली के न्यायपूर्ण निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिंदु यह है कि :–

1. **''क्या अभियुक्त ने दिनांक 19.05.2016 को समय दोपहर करीब 01.30 बजे के आसपास स्थान– फरासिया फाटक पार कर किशनगढ की तरफ से वाहन कार जिसका नंबर आर.जे. 01 सी.ए. 7165 को तेजगति, उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से गलत दिशा में चलाकर मानव जीवन को संकटापन्न किया, परिवादी के पुत्र बालकिशन व शिवराज के टक्कर मारी, जिससे उनकी मृत्यु कारित हुयी व घायल को चिकित्सकीय सहायता प्रदान करने हेतु समुचित कदम नहीं उठाए?"**
2. **यदि हां, तो उपर्युक्त का उचित दण्ड क्या होगा?**

10. उपरोक्त विचारणीय बिंदु के प्रमाणीकरण के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाहों में से गवाह पी.डब्ल्यू– 1 सोहनलाल, जो कि हस्तगत प्रकरण का परिवादी है, ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किये है कि दिनांक 19.05.2016 को दिन के 01.30 बजे करीब उसका

बेटा बालकिशन व शिवराज दोनो उसके पुत्र की मोटरसाइकिल नम्बर आर.जे. 42 एस.ए. 7225 से गेगल से किशनगढ़ की तरफ आ रहे थे। मोटरसाईकिल बालकिशन चला रहा था व शिवराज पीछे बैठा था। ये लोग फरासिया फाटक पार करके किशनगढ़ की तरफ आये कि सामने से एक कार नम्बर आर.जे. 01 सी.ए. 7165 का चालक कार को तेज गति व लापरवाही से चलाता हुआ आया और बालकिशन की मोटरसाईकिल के टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बालकिशन व शिवराज दोनों गम्भीर रूप से घायल हुए। सूचना पर वह मौके पर पहुंचा तब तक राहगीर उन्हें अस्पताल ले जा चुके थे। वह वाई.एन. अस्पताल पहुंचा, जहा शिवराज की मृत्यु ही चुकी थी तथा बालकिशन को जे.एल.एन. अस्पताल, अजमेर रेफर करने पर वह उसे वहां लेकर गया, जहा दौराने ईलाज उसकी मृत्यु हो गयी थी। उसके किसी मिलने वाले ने सूचना दी थी, इस पर वह मौके पर पहुंचा था। जे.एल.एन. अस्पताल में ही उसने पुलिस को रिपोर्ट की जो प्रदर्श पी– 1 है। जिस पर ए से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है जो कि उसने अस्पताल में किये थे। बालकिशन की लाश का पंचायतनामा उसके सामने बनाया गया था। जिस पर ए से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। बाद पोस्टमार्टम लाश जरिये फर्द प्रदर्श पी– 3 के उसके सुपुर्द कर दी जिस पर ए से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसकी निशादेही से घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी– 4 घटना के दूसरे दिन बनाया था, जिस पर ए से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके समक्ष दुघर्टना कारित करने वाली गाडी आई–10 कार नम्बर आर.जे. 01 सी.ए. 7165 को जरिये फर्द प्रदर्श पी– 5 के उसके समक्ष जब्त किया था, जिस पर ए से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

**11.** आगे अपने मुख्य परीक्षण में गवाह कथन करता है कि फर्द सूरतेहाल मोटरसाईकिल प्रदर्श पी– 9 है जिस पर ए से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। वक्त दुर्घटना, एक्सीडेंट कारित वाहन दिलीप कुमार ने किया था। उसने एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखा, वह तो फोन आने के बाद वहां पहुंचा था। उसे थाने में थाने वालों ने दिलीप चालक का नाम बताया था। पुलिस ने उससे पूछताछ की थी और उसके बयान लिये थे।

**12.** अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा प्रति–परीक्षण किये जाने पर गवाह इसे सही बताता है कि उसके सामने कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उसने मौके पर चालक को नहीं देखा था, उसने अपने बयानों में यह नहीं बताया कि पुलिस वालों ने चालक का नाम दिलीप उसे बताया हो। प्रदर्श पी– 1 उसकी हस्तलिखित नहीं है फिर कहा कि उसका तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, उसका बच्चा खत्म हो गया था। प्रदर्श पी– 1 में किसने काटा–पीसी की, उसके बारे में वह नहीं बता सकता। प्रदर्श पी–4 कब बनाया, उसे आज याद नहीं है।

**13.** अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाह पी.डब्ल्यू– 2 डा. पुष्पेन्द्र प्रभाकर तत्कालीन मेडिकल ज्यूरिट वाइ.एन. अस्पताल, किशनगढ, ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपने बयानों में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 19.05.2016 को पुलिस थाना, मदनगंज, किशनगढ के पुलिस प्रतिवेदन पर उसने मृतक शिवराज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की, जिस रिपोर्ट में मृत्यु का कारण सिर में गंभीर चोट लगने से अत्यधिक रक्त स्राव से मृत्यु होना पाया गया। मृत्यु चोट लगने के 6 घंटे के भीतर हुयी थी।

**14.** अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा प्रति–परीक्षण के किये जाने पर गवाह स्वीकार करता है कि पुलिस प्रतिवेदन उसने चिन्हित नहीं कराया है तथा प्रदर्श पी– 6 पर पुलिस रिक्वेजेशन नंबर, दिनांक अंकित नहीं है। इसी स्तर पर न्यायालय यह भी संज्ञान में लेता है है कि अभियुक्त द्वारा मृतक बालकिशन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो डॉक्टर भगवान सहाय द्वारा तैयार की गयी, उसे स्वीकृत किया एवं बयान अभियुक्त के दौरान शिवराज के पोस्टमार्टम के संबंध में भी स्वीकृति प्रदान की गयी है।

**15.** अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाह पी.डब्ल्यू– 3 महिपाल सिंह तत्कालीन कानि. व चालक पुलिस थाना मदनगंज, ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि हस्तगत प्रकरण में उसने दिनांक 22.05.2016 को आर.जे. 01 सी.ए. 7165 का मैकेनिकल मुआयना कर रिपोर्ट प्रदर्श पी– 7 तैयार की, वाहन चालू हालत में नहीं था तथा उसका शीशा व ड्राइवर साईड का शीशा टूटा था, ड्राइवर के आगे का टायर, मरगाड, हैडलाइट, बम्पर गाडी का बोनट व चालक की तरफ का हिस्सा भी क्षतिग्रस्त था।

**16.** अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा प्रति–परीक्षण किये जाने पर गवाह कथन करता है कि प्रदर्श पी– 7 थाने पर बनायी यद्यपि उसने मोटर ड्राइविंग स्कूल बीकानेर से 3 माह का कोर्स कर रखा है परंतु पत्रावली पर मैकेनिकल मुआयना किये जाने के संबंध में डिप्लोमा या डिग्री पेश नहीं की।

**17.** अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाह पी.डब्ल्यू– 4 फारूख कथित चक्षुदर्शी साक्षी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपने सशपथ बयानों में कथन करता है कि 2016 के पांचवे महीने, जिसकी दिनांक याद नही है, को वह तथा जितेन्द्र मोटरसाईकिल से अजमेर से किशनगढ आ रहे थे। जितेन्द्र मोटरसाईकिल चला रहा था, वह पीछे बैठा था। परासिया के पास डबल फाटक के पास पहुंचे तो सामने से सफेद रंग की चौपहिया वाहन रांग साइड में आ रही थी। उनके आगे बालकिशन मोटरसाईकिल पर चल रहा था, जिनके साथ एक व्यक्ति और  बैठा था, मोटरसाईकिल के नंबर उसे याद नही है। सामने से रांग साइड में जो चौपहिया वाहन आया, उसने तेज गति से आकर रांग साइड में बालकिशन की मोटरसाईकिल के टक्क्र मार दी, जिससे मोटरसाईकिल पर बैठे बालकिशन व उसके साथी गिर गये। कार चालक भाग गया तथा उस कार के नंबर आर.जे. 01 पीछे से 7165 थे, परंतु नंबर प्लेट टूट गयी थी। उन्होंने बालकिशन व उसके साथी को वाई.एन. अस्पताल में भर्ती कारया तथा वहां से अपने घर आ गये, बालकिशन की बाद में मृत्यु हो गयी। नक्शा मौका प्रदर्श पी– 4 घटना के दो–तीन दिन बाद बनाया तथा पुलिस ने थाने पर बुलाकर सी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर कराये।

**18.** गवाह के पक्षद्रोही घोषित होने के उपरांत अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रति–परीक्षण किये जाने पर गवाह कथन करता है कि पुलिस बयान प्रदर्श पी– 8 का ए से एच भाग सही है उसके सामने तो दोनों में से एक की मृत्यु हुयी थी, यह आज याद नही है परंतु दुर्घटना कार चालक की गलती से हुयी थी, जिसकी शक्ल नहीं देख पाया तथा न ही उसे पहचान सकता है।  इस सुझाव को गलत बताया कि प्रदर्श पी– 4 उसके सामने नहीं बनाया गया तथा कहता है कि प्रदर्श पी– 4 पर हस्ताक्षर किये तब लिखापढी हो रखी थी, परंतु नक्शा मौका की ही हो रखी हो तो उसे नहीं पता क्योंकि ज्यादा पढा लिखा नहीं है।

**19.** अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा प्रति–परीक्षण किये जाने पर गवाह कथन करता है कि दुर्घटना दिनांक के अतिरिक्त कभी भी थाने या मौके पर नहीं गया। दुर्घटनास्थल पर पहुंचा उससे पहले दुर्घटना हो रखी थी, कार की नंबर प्लेट टूट चुकी थी तथा उसने नंबर प्लेट पर 7165 ही नंबर देखे। दुर्घटना के समय वाहन चालक कौन था, किसने दुर्घटना कारित की वह नहीं बता सकता है, उन्होंने तो रोड पर किनारे पर पडे दो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचया, जबकि उनके सामने दुर्घटना नहीं हुई, इसलिये नहीं बता सकता कि किस वाहन चालक की गलती या लापरवाही से दुर्घटना हुई व कितने बजे व उक्त दुर्घटना में किसकी मृत्यु हुयी। उसके सामने नक्शा मौका नहीं बनाया गया, न थाने पर बयान देने गया, न ही वह कार नंबर 7165 के आगे के नंबर बता सकता है तथा यह कि वह कहां पर पंजीबद्ध हुआ, उसने तो मदद के लिये अस्पतला पहुंचया भर था अन्य कोई जानकारी नहीं है।

**20.** अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाह पी.डब्ल्यू– 5 गोपाल न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपने सशपथ बयानों में कथन करता है कि 19.05.2016 को शिवराज का परासिया रेलवे फाटक से आगे किशनगढ की तरफ एक्सीडेंट हो गया था, जो उसने नहीं देखा, उसे तो गांव से फोन आया, तब पता लगा। जिस पर वह वाई.एन. अस्पताल किशनगढ पहुंचा।

**21.** गवाह के पक्षद्रोही होने के उपरांत अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रति–परीक्षण किये जाने पर गवाह गवाह पुलिस बयान प्रदर्श पी– 8 के ए से एफ भाग से इनकार करता है तथा कहता है कि वह तो दुर्घटना होने के बाद मौके पर गया था, अस्पताल पहुंचने पर भी शिवराज से कोई बात नहीं हुयी, क्योंकि मौके पर ही मृत्यु हो गयी। उसे नहीं पता कि दुर्घटना कैसे हुयी तथा इस सुझाव को स्पष्ट नकारा है कि 19.05.2016 को उसके सामने वाहन आर.जे. 01 सी.ए. 7165 के चालक द्वारा तेज गति व लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर दुर्घटना कारित की हो। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा प्रति–परीक्षण किये जाने पर गवाह कहता है कि वह न तो मौके पर गया, न ही वाहन देखा।

Authenticated document

**22.** अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी.डब्ल्यू– 6 हनुमान सहाय, तत्कालीन ए.एस.आई. पुलिस थाना मदनगंज, जो कि हस्तगत प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है, ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होर अपने सशपथ बयानों में कथन किये है कि दिनांक 19.05.2016 को जे.एल.एन. अस्पताल, अजमेर से जरिये टेलीफोन थाना मदनगंज पर इत्तला मिली कि एक्सीडेंट में दुर्घटनाग्रस्त होकर आहत जो ईलाजरत था, उसकी मृत्यु हो गयी है, जिस पर वह समय 05.00 पी.एम. पर थाने से रवाना होकर जे.एल.एन. अस्पताल, अजमेर पहुंचा। इसी एक्सीडेंट के मामले में एक अन्य आहत जो यज्ञ नारायण अस्पताल में भर्ती था, उसकी भी दौराने ईलाज मृत्यु हो गयी, जिसके संबंध में कार्यवाही हेतु उसके साथ ही थाने से ए.एस.आई. राजेश तिवारी यज्ञ नारायण अस्पताल, किशनगढ के लिये रवाना हुए थे। जे.एल.एन. अस्पताल, अजमेर पहुंचकर मृतक बालकिशन के ईलाज का फर्द पंचायतनामा प्रदर्श पी– 2 रूबरू गवाहान मुर्तिब कर उसकी लाश को जरिये फर्द प्रदर्श पी– 3 मृतक के पिता सोहनलाल को सुपुर्द की। उक्त दोनों फर्दों पर ए से बी व सी से डी भाग पर गवाहान सोहनलाल व विनोद के ई से एफ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। समय 05.40 पी.एम. पर मृतक के पिता सोहनलाल ने उसके समक्ष एक लिखित रिपोर्ट पेश की जो प्रदर्श पी– 1 है, जिस पर उसके द्वार सी से डी कार्यवाही पुलिस का पृष्ठांकन किया गया तथा मामला प्रथम दृष्टया धारा 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता का पाया गया। प्रदर्श पी– 1 पर ई से एफ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही वापसी थाना समय 07.05 पी.एम. पर प्रदर्श पी– 1 मय प्रदर्श पी– 2 व पी– 3 थानाधिकारी हरिराम जी को मुकदमा दर्ज कराने हेतु पेश किया, जिस पर उनके द्वारा मुकदमा नम्बर 138/2016 अन्तर्गत धारा 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता का दर्ज कर अनुसंधान उसके जिम्मे किया। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी– 1, चाक एफ.आई.आर प्रदर्श पी– 10 है, जिन पर एस.एच.ओ. साहब हरिराम जी के हस्ताक्षर क्रमशः जी से एच व ए से बी भाग पर हैं। प्रदर्श पी– 10 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी– 4 मौके पर परिवादी सोहनलाल की निशादेही से गवाह फारूख व जितेन्द्र के सामने बनाया। जिस पर ए से बी परिवादी, सी से डी व ई से एफ भाग पर उक्त गवाहान तथा जी से एच भाग पर उसके

हस्ताक्षर है। पुश्त पर आई से जे भाग में हालात मौका अंकित है। मृतक बालकिशन व शिवराज की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी– 6 व प्रदर्श पी– 11 शामिल पत्रावली की। दौराने अनुसंधान गवाह सोहनलाल, फारूख, जितेन्द्र, गोपाल लाल के पुलिस बयान उनके कहे अनुसार उसके द्वारा लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किये गये। उक्त प्रकरण में शिवराज की लाश का फर्द पंचायतनामा प्रदर्श पी– 12 राजेश तिवारी ए.एस.आई. द्वारा बनाया जाकर उसकी लाश को जरिये फर्द प्रदर्श पी– 13 उसके वारिसान को सुपुर्द किया गया। उक्त दोनों फर्दों पर ए से बी ए.एस.आई. राजेश तिवारी के हस्ताक्षर है। उक्त मृतक के पोस्टमॉर्टम बाबत मेडिकल ज्यूरिष्ट वाई.एन.एच. किशनगढ को दी गयी, जो प्रदर्श पी– 14 है, जिस पर ए.एस.आई. राजेश तिवारी के हस्ताक्षर है। जिनके हस्ताक्षर उनके द्वारा उसके अधीनस्थ कार्य किये जाने से वह पहचानता है। प्रकरण में दुर्घटना कारित करने वाले वाहन कार आर.जे. 01 सी.ए. 7165 को आरोपी चालक दिलीप कुमार व गवाह रमेशचन्द गर्ग व सोहनलाल की उपस्थिति में दिनांक 20.05.2016 को समय 02.00 पी.एम. पर जरिये फर्द प्रदर्श पी– 5 उसके द्वारा नियमानुसार जब्त किया गया, जिस पर ए से बी भाग पर गवाह सोहनलाल, सी से डी भाग पर रमेश चन्द, ई से एफ भाग पर आरोपी दिलीप तथा जी से एच भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त वाहन को बाद दुर्घटना मौके पर से थाने पर लाकर पूर्व में सुरक्षार्थ खडा कर दिया गया था। उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी जो स्वयं आरोपी चालक दिलीप कुमार था, जिसे धारा 133 एम.वी. एक्ट का नोटिस प्रदर्श पी– 15 दिया जाकर जवाब प्राप्त किया गया, जिस पर ए से बी भाग पर उसके हस्ताक्षरए सी से डी आरोपी चालक दिलीप के हस्ताक्षर हैं तथा ई से एफ आरोपी चालक का जवाब है। उक्त वाहन का मैकेनिकल मुआयना कराया जाकर एम.आई.रिपोर्ट प्रदर्श पी– 7 शामिल पत्रावली की। दिनांक 20.05.2016 को ही क्षतिग्रस्त वाहन मोटरसाईकिल नम्बर आर.जे. 42 एस.ए. 7225 की फर्द सूरतेहाल प्रदर्श पी– 9 समय 12.30 पी.एम. पर थाने पर परिवादी सोहनलाल व गवाह फारूख व जितेन्द्र के समक्ष मुर्तिब कर वाहन को परिवादी को सुपुर्द किया गया, जिस पर ए से बी परिवादी, सी से डी व ई से एफ गवाहान फारूख व जितेन्द्र के तथा जी से एच भाग पर उसके हस्ताक्षर है तथा आई से जे भाग में वाहन का हुलिया अंकित है। उपरोक्त एक्सीडेंट कारित करने वाले वाहन

Authenticated document

कार की आर.सी., इंश्योरेंस व चालक के डी.एल. की फोटो प्रति शामिल पत्रावली की। प्रकरण से संबंधित रपट रोजनामचा दिनांक 19.05.2016 की नकल रपट संख्या 804, 807, 808 शामिल पत्रावली की गयी जो पत्रावली पर संलग्न है। प्रकरण से संबंधित रपट रोजनामचा दिनांक 19.05.2016 की नकल रपट संख्या 804, 807, 808 शामिल पत्रावली की गयी जो पत्रावली पर संलग्न है जो प्रदर्श पी– 16 के ए से बी भाग में है। बाद अनुसंधान आरोपी चालक दिलीप कुमार के विरूद्ध धारा 279, 304 ए भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर पत्रावली वास्ते नतीजे एस.एच.ओ. साहब हरिराम जी को पेश की जिन्होंने उसके अनुसंधान से सहमत होते हुए उपरोक्तानुसार न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। आरोप पत्र के सभी पृष्ठों पर ए से बी भाग पर एस.एच.ओ. साहब हरिराम जी कुमावत के हस्ताक्षर हैं, जिनके हस्ताक्षर वह उनके अधीन कार्य करने से पहचानता है।

**23.** अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा प्रति–परीक्षण किये जाने पर गवाह कथन करता है कि राजेश तिवारी जी आज भी सेवा में सेवारत हैं। वह हैंड राइटिंग एक्सपर्ट नहीं है। राजेश जी के दस्तावेज जो वह बता रहा है वे उसके सामने नहीं बनाये गये थे। प्रदर्श पी– 16 के अनुसार घटनास्थल पर उस समय कोई भी अन्य व्यक्ति मौजूद नहीं था। उक्त एक्सीडेंटल केस की कोई फोटोग्राफी नहीं करवायी थी। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दुर्घटना के प्रकरणों में वास्तविक गलती के अवधारण बाबत मौके की कलर फोटोग्राफी करवाया जाना महत्वपूर्ण तात्विक साक्ष्य माना है। मौके की फोटोग्राफी नहीं करवायी जाने का कोई कारण नहीं है। प्रदर्श पी– 4 नक्शा मौका के अनुसार मौके पर न तो वाहन डेमेजेस के आर्टिकल थे और ना ही टायरों की कोई सडक पर रगड़क, घसीटने आदि के निशान थे। प्रदर्श पी– 4 के गवाहान का घटना स्थल पर कोई मकान, व्यावसायिक संस्थान नहीं है। प्रदर्श पी– 4 के अनुसार आसपास में अन्य के मकान फार्म हाऊस आदि स्थित थे, इनमें से उसने किसी को नक्शामौका बनाते समय स्वतंत्र गवाह बनने हेतु नहीं बुलाया तथा ना ही उनके बयान लिये। उसने अनुसंधान में जो चक्षुदर्शी साक्ष्य बताये हैं, वे दुर्घटना के समय मौके पर मौजूद हों इस बाबत उनकी लोकेशन बाबत मोबाइल से कनेक्टिविटी बाबत कोई साक्ष्य अनुसंधान नहीं किया और ना ही कोई

दस्तावेज पेश किया। उसने जो चक्षुदर्शी साक्ष्य बताये हैं, उनमें से कोई भी मौके पर ना तो रहता था और ना ही उसकी कोई साक्ष्य उपलब्ध है। उक्त दोनों वाहन जो क्षतिग्रस्त थे कि चलने की स्थिति में नहीं थे उन्हें मौके से थाने पर कौन लाया और कैसे लाया इसकी कोई पत्रावली पर साक्ष्य नहीं है। किसी भी गवाह ने अभियुक्त दिलीप गोयल की ना तो पहचान की थी और ना ही उसने पहचान करवायी थी। एफ.आई.आर. में अभियुक्त् का नाम नहीं है। इस सुझाव को गलत बताया कि प्रदर्श पी– 15 किस माध्यम से दिलीप कुमार को भिजवाया गया था, इसका इंद्राज प्रदर्श पी– 15 पर नहीं है। प्रदर्श पी– 15 दिलीप कुमार अग्रवाल को जारी किया गया था। इस प्रकरण में अभियुक्त दिलीप कुमार अग्रवाल नहीं है। इस सुझाव को गलत बताया है कि उसने गलत अनुसंधान कर अभियुक्त के विरूद्ध गलत आरोप पत्र पेश किया हो। इस सुझाव को गलत बताया है कि वह आज झूठे बयान दे रहा है।

24. पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य सामग्री का विवेचन किया गया। उभयपक्षकरों के द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। निश्चत रूप से अभियोजन की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत **सैयद अहमद बनाम स्टेट आफ कर्नाटक, 2012(3) क्राईम 202 एस.सी. व भारभाडा भोगिन भाई हिरजी भाई बनाम स्टेट आफ गुजरात, ए.आई.आर 1983 एस.सी. 753** यह प्रतिपादित करते है कि घटना के पश्चात विचारण का समय अधिक होने तक यदि साक्षियों के बयानों में सूक्ष्म विरोधाभास आता है तो यह स्वभाविक ही है तथा इनके आधार पर दोषमुक्ति नहीं की जा सकती है परंतु न्यायालय के मत में यदि विरोधाभास गंभीर हो तो उक्त न्यायिक दृष्टांत अभियोजन को किसी प्रकार से कोई सहायता प्रदान नहीं करेंगे।

25. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं तर्कों के अनुशीलन के पश्चात, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त दिलीप के विरुद्ध आरोपित अपराध को संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः विफल रहा है। यद्यपि यह तथ्य निर्विवाद है कि दिनांक 19.05.2016 को हुई इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में दो नवयुवकों, बालकिशन एवं शिवराज की मृत्यु हुई, तथापि केवल दुर्घटना का होना या अभियुक्त का वाहन स्वामी होना उसे आपराधिक रूप से उत्तरदायी ठहराने हेतु

पर्याप्त नहीं है। कथित चक्षुदर्शी साक्षी पी.डब्ल्यू. 4 फारूख ने प्रति–परीक्षण में स्पष्ट स्वीकार किया कि उसने दुर्घटना होते नहीं देखी और वह नहीं जानता कि घटना किस चालक की लापरवाही से हुई। इसी प्रकार परिवादी पी.डब्ल्यू. 1 सोहनलाल ने भी स्वीकार किया कि उसने न तो दुर्घटना देखी और न ही चालक को पहचाना। अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू. 6 द्वारा न तो घटनास्थल की फोटोग्राफी करवाई गई और न ही अभियुक्त की शिनाख्त परेड आयोजित की गई, जो अभियोजन की कहानी में एक गंभीर विधिक रिक्तता उत्पन्न करता है।

**26.** जब तक चालक द्वारा किया गया 'उतावलापन' या 'उपेक्षा' प्रत्यक्ष एवं विश्वसनीय साक्ष्य से सिद्ध न हो, तब तक दोषसिद्धि न्यायोचित नहीं है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धाराओं के अनुरूप प्रमाणित नहीं माना जा सकता। चक्षुदर्शी साक्षी पी.डब्ल्यू. 04 फारूख जिसके हस्ताक्षर नक्शा मौका पर मौजूद हैं ने प्रति–परीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वह घटना की तिथि के पश्चात न तो कभी घटनास्थल पर गया और न ही कभी पुलिस थाने गया। ऐसी स्थिति में, घटना के बाद तैयार किए गए या बिना मौके पर गए हस्ताक्षरित दस्तावेज़ की कोई विधिक शुचिता शेष नहीं रहती। इसके अतिरिक्त, नक्शा मौका का दूसरा पंच–साक्षी जितेन्द्र अभियोजन द्वारा परीक्षित ही नहीं कराया गया, जिससे इस दस्तावेज़ की सत्यता का स्वतंत्र समर्थन नहीं होता। केवल दुर्घटना का होना लापरवाही का प्रमाण नहीं है। जब नक्शा मौका ही संदिग्ध हो और स्वतंत्र गवाह परीक्षित न हों, तो अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाना न्यायसंगत है।

**27.** पत्रावली पर मौजूद किसी भी साक्षी ने यह प्रमाणित नहीं किया है कि दुर्घटना केवल कार चालक की लापरवाही के कारण हुई थी। पी.डब्ल्यू. 04 ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उसने दुर्घटना होते नहीं देखी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत, 'आपराधिक लापरवाही' का निष्कर्ष केवल अनुमान के आधार पर नहीं निकाला जा सकता।

**28.** इस प्रकार न्यायालय के मत में अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध को संदेह से परे साबित करने में असफल रहे है एवं पत्रावली पर साक्ष्य सामग्री का पूर्णतया अभाव है। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के अभाव व

Authenticated document

गवाहों के पक्षद्रोही होने के कारण अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

**–– <u>आदेश</u> ––**

**29.** अतः अभियुक्त दिलीप कुमार पुत्र श्री सत्यनारायण गोयल, निवासी– एस 1, बी ब्लॉक, एलिगेंट अपार्टमेंट, संतोष नगर, जयपुर को अपराध अंतर्गत धारा 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता में साक्ष्य के अभाव एवं गवहों के पक्षद्रोही होने से उत्पन्न संतोषजनक संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

**30.** प्रकरण में जब्तशुदा वाहन बाद गुजरने मियाद अपील स्थायी समझा जावे।

**31.** उक्त निर्णय की एक प्रति अविलंब ई–कोर्ट वेबसाईट पर अपलोड की जावे।

(जितेन्द्र रैया)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
संख्या 1 किशनगढ़, अजमेर

**32.** यह निर्णय आज दिनांक 25.03.2026 को विवृत न्यायालय में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(जितेन्द्र रैया)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
संख्या 1 किशनगढ़, अजमेर

Authenticated document